लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व)
(जिला कलक्टर),बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS.

प्रकरण संख्या : 03/ 2024

GCMS NO. : 2024/30

प्रार्थी/अपीलार्थी :-

श्री शरद पंड्या, कार्यालय अन्दर की खबर समाचार पत्र, घंटाघर के पास, त्रिपोलिया रोड, बांसवाडा

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्सः-

1. अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा
2. उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांक :– 01–08–2024

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 16.05.2024 (पोस्टल ऑर्डर नं. 62 एफ 366020) को प्रस्तुत किया। अपीलार्थी अनुसार प्रस्तुत आवेदन पर अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा द्वारा निर्धारित अवधि में भी सूचना उपलब्ध नही कराने पर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय से नोटिस दिनांक 27.06.2024 जारी किया गया एवं अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भी नियत तिथी को अपना पक्ष रखने उपस्थित होने सूचित किया [illegible] दिनांक 19.07.2024 को अपीलार्थी अनुपस्थित रहे। प्रत्यर्थी ने पत्रांक 40(5) एडीएम/आरटीआई/ 2024/ 51 दिनांक 04.07.2024 से जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा चाही [illegible] सूचना उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा से सम्बन्धित होने से प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 की

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.09.12 11:48:44 IST
Reason: SelfAttested

उपधारा 3 के तहत पत्रांक 35 दिनांक 21.05.2024 से स्थानांतरित किया गया है। उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा को नियत तिथी पर अपना पक्ष रखने सूचित किया गया। दिनांक 01.08.2024 को उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा ने पत्रांक 1253 दिनांक 01.08.2024 से अवगत कराया कि प्रार्थना पत्र के संबंध में चाही गई सूचना का स्पष्ट उल्लेख नही होने से दिया जाना संभव नही है। अतः प्रार्थी को सूचना प्रदान नही की जा सकती। कार्यालय के पत्रांक 956 दिनांक 12.06.2024 से रजिस्टर्ड डाक द्वारा नियमानुसार समयावधि के भीतर प्रार्थी को सूचित किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा व उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं उसके संलग्न पत्रादि का अवलोकन किया। अपील अनुसार अपीलार्थी ने उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 16.05.2024 अन्तर्गत धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, के तहत एक बिन्दु जो यह कि " रतलाम–डूंगरपुर वाया बांसवाडा रेल परियोजना के टेंडर अवार्ड के भुगतान की शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान करने की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है। इससे सम्बन्धित पत्रावली का अवलोकन एवं अवलोकन के पश्चात् चिन्हित दस्तावेजो की सत्यापित प्रति देवे।"

इस प्रकार प्रार्थी द्वारा अभिलेख के अवलोकन हेतु आवेदन किया है, अवलोकन के पश्चात् चिन्हित दस्तावेजो की सूचना चाही है। जबकि प्रार्थी को अभिलेख के अवलोकन का अवसर दिये बिना ही उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा ने चाही गई सूचना अस्पष्ट होने से सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नही होने बाबत् प्रार्थी को सूचित किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.09.12 11:48:44 IST
Reason: SelfAttested

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा को निर्देशित किया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 21 दिवस में अपीलार्थी को प्रत्यर्थी कार्यालय में

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बाँसवाड़ा (राज.)

उपलब्ध सूचना से सम्बन्धित अभिलेखो के अवलोकन हेतु एक निश्चित दिनांक, समय व स्थान पर उपस्थित होने हेतु पंजीकृत पत्र के माध्यम से आमंत्रित करे। अपीलार्थी के अवलोकनोपरांत उनके द्वारा चिन्हित करने पर नियमानुसार सूचना/ विनिश्चिय अधिप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित कर उपलब्ध करवाये। आदेश की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 01–08–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. इंद्रजीत यादव) IAS.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.09.12 11:48:44 IST
Reason: SelfAttested